राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-241049;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2023 –24 / 1128 दिनांक : 9.2.2024

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :–Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (TRANS) 2020 / एफसीए / प्रमुवसं / 6971 दिनांक 2.8.2023 के क्रम में।

संदर्भ :– सहायक अभियन्ता, (प व स) अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं का पत्र क्रमांक 2186 दिनांक 25.1.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त आक्षेपो की पूर्ति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदर्भित पत्र से प्रस्तुत की है तथा इस कार्यालय से संबंधित आक्षेपो की पूर्ति की जाकर प्रस्ताव पुनः प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पालना रिपोर्ट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के.वी. / 11 के.वी. पारेषण लाईन डाला जानी है किन्तु DGPS मेप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट किया जाना प्रस्तवित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार 33 के.वी. पारेषण लाईन का ले–आऊट प्लान तैयार कर अपलोड कर दिया गया है। **एनेक्श्चर–1**
2	पालना अपूर्ण। रोजगार सृजन की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निर्माण में कितने रोजगार सृजन किये जावेगें यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के निर्माण में रोजगार सृजन की सूचना अंकित कर दी गई है। **एनेक्श्चर–2**
3	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालना संतोषजनक नहीं है उप वन संरक्षक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व वाले वन क्षेत्र में प्रस्तावित करे एवं भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व वाले वन क्षेत्र का चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न कर दी गई है। **एनेक्श्चर–3**
4	पालना अपूर्ण। प्रकरण पारेषण लाईन के निर्माण से सबंधित है। इसमें वृक्षों का पातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः उप वन संरक्षक इस आशय से पुर्नविचार कर स्पष्ट करे कि कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।	वृक्षों का पातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से न्युनतम वृक्षों के पातन हेतु 15 प्रतिशत वृक्षों के पातन का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है। **एनेक्श्चर–4**
5	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड प्रति में संलग्न की गयी है किन्तु ऑनलाईन नहीं की गयी है।	नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन कर दी गयी है। **एनेक्श्चर–5**

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

Signature valid
Digitally signed by Vijay Shankar Pandey
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.02.09 13:44:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 5589508

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2023 –24 / 1129 दिनांक 9.2.2024

प्रतिलिपि :– अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सुचनार्थ प्रेषित है।